

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध तमंचा रखने के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है वादी मुकदमा नि० श्री विश्वनाथ यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा अभियुक्त के पास अवैध तमंचा बरामद होने पर दिनांक 26.09.2020 को समय 04.45 बजे थाना मोहनगंज पर मु०अ०सं० 414/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

अभियोग उपरोक्त में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 17.01.2025 को स्वरूप माननीय न्यायालय एफटीसी द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रुपए अर्थदण्ड।
- अभियुक्त को अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र सरवर नट नि० मेलालई खुर्द जनपद अमेठी।



एडीजीसी सुश्री अल्का
बाजपेई



पैरोकार उ० नि० कृष्ण
कुमार



पैरोकार हे०का० राजकुमार



@amethipolice

सोशल मीडिया सेल अमेठी